Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X (Print), Impact Factor: (Cosmos: 7.866 & I2OR: 5.675) Volume 16, No. 01(II), January-March, 2026, pp. 160-164

जल संभरण विकास कार्यक्रम के उद्देश्य (धौलपुर जिले के सन्दर्भ में)

विमलेश[1]* एवं डॉ. प्रदीप पुरोहित[2]

[1]शोध छात्रा, बी. एन. विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान।
[2]सहायक आचार्य (भूगोल), बी. एन. विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान।

*Corresponding Author: vimleshpurohit1991@gmail.com

Citation: *विमलेश एवं पुरोहित, प्रदीप (2026). जल संभरण विकास कार्यक्रम के उद्देश्य (धौलपुर जिले के सन्दर्भ में). Journal of Modern Management & Entrepreneurship, 16(01(II)), 160–164. https://doi.org/10.62823/JMME/16.01(II).9065*

सार

जल संभरण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जल संचयन, जल के सदुपयोग आदि पर विशेष जोर दिया जाता है। जल की कमी वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रम सम्पूर्ण विकास में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में धौलपुर जिले में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संचालित जल संभरण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्धारित पारिस्थितिक संतुलन, मृदा संरक्षण, वर्षा जल संचय, भूमिगत जल पुनर्भरण, कृषि विकास, पशुपालन, वृक्षारोपण, वानिकी, स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि, मृदा अपरदन रोकना, कृषि उत्पादन में वृद्धि, चारागाह विकास आदि उद्देश्यों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। जल संभरण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में मानचित्र एवं दूर संवेदी तकनीकी के प्रयोग के बढ़ने से इन कार्यक्रमों की सार्थकता और बढ़ गई है। आधुनिक तकनीक के उपयोग से कृषि पद्धति, सामाजिक वानिकी मृदा संरक्षण तथा जल संरक्षण की योजनाएं बनाई जा रही हैं क्योंकि अलग–अलग भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार विधित्तन्त्र अपना कर योजना तैयार की जाती है ताकि अधिकतम उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

शब्दकोश: *जल संभरण, संसाधन संरक्षण, अनुकूलतम उपयोग, बारानी क्षेत्र, सूखा सम्भाव्य, आश्वासित रोजगार, स्वयं सहायता समूह।*

प्रस्तावना

तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या एवं सीमित संसाधनों के मध्य असन्तुलन बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि संसाधन अंक गणितीय दर से एवं जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती जा रही है। राजस्थान के पूर्वी भाग में अवस्थित धौलपुर जिले में भी यह असन्तुलन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

अतः वर्तमान समय में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं संतुलित उपयोग की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। इसी क्रम में प्रमुख प्राकृतिक संसाधन भूमि एवं जल के उचित प्रबन्धन एवं अनुकूलतम उपयोग के तरीके प्रयोग में लाये जाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। यद्यपि इस दिशा में अनेक प्रयास प्रारम्भ हुये लेकिन अस्सी के दशक में राष्ट्रीय स्तर पर विकसित जल संभरण विकास की विचारधारा इस दिशा में एक सार्थक पहल रही। जिसके अन्तर्गत एक सीमित क्षेत्र में वर्षा के जल को एकत्रित कर उसके उचित प्रबन्धन से भूमि एवं जल का संरक्षण करना प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किया गया। भारत में 1949 में दामोदर

* *Copyright © 2026 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

घाटी निगम द्वारा जल संरक्षण के आधार पर समन्वित उपचार करने की अवधारणा विकसित हुई। लेकिन छोटे–छोटे बांधों के द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा के जल को संरक्षित करने की शुरुआत 1986–87 में राष्ट्रीय जल संभरण कार्यक्रम के दौरान हुई।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैंः

- जल संभरण विकास कार्यक्रम का परिचय
- विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संचालित जल संभरण विकास कार्यक्रमों की पहचान
- जल संभरण विकास कार्यक्रमों के उद्देश्यों का प्रारूप
- जल संभरण विकास कार्यक्रमों की उपलब्धियों की पहचान।

मुख्य पाठ

राजस्थान में इस प्रकार के कार्यक्रम 1990–91 में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ किये गये। यह कार्यक्रम राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के अलावा शेष सभी जिलों की 234 पंचायत समितियों जहाँ 30 प्रतिशत से कम सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में प्रारम्भ किये गये। इसी क्रम में धौलपुर जिले में धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी पंचायत समितियों में ये कार्यक्रम शुरू किये गये।

धौलपुर जिले में जल संभरण विकास कार्यक्रम स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर (SRSAC) जोधपुर ने जल संभरण विकास क्षेत्रों के वर्गीकरण में राजस्थान को 13 नदी घाटी कैचमेन्ट क्षेत्रों में बांटा है। इस प्रक्रिया में (SRSAC) के अनुसार धौलपुर जिले का क्षेत्र बाणगंगा और चम्बल नदी घाटी के कैचमेन्ट के अन्तर्गत आता है।

जल संभरण प्रबन्धन एवं मिट्टी संरक्षण के लिये अलग–अलग तरह के कार्यक्रम धौलपुर जिले में वास्तव में 1997 से शुरू हुये। इनमें से कुछ पूरे हो चुके हैं तथा कुछ चल रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम अलग–अलग योजनाओं के तहत चल रहे हैं। जैसे 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जल संभरण विकास कार्यक्रम National Watershed Development Program for Rainfed Areas (NWDPRA), एम्पलायमेन्ट एश्योरेन्स स्कीम (EAS), इन्टीग्रेटेड बंजर भूमि विकास प्रोजेक्ट व पायलट प्रोजेक्ट और दसवीं योजना के तहत नेशनल वाटरशेड डवलपमेन्ट। इन योजनाओं के तहत धौलपुर जिले में जल संभरण के विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं।

रोजगार गारन्टी योजना (EAS)

यह योजना राज्य में 31 जिलों में लागू की गई। इस योजना में पूरे राज्य में 489 जल संभरण क्षेत्र चुने गये। इस कार्यक्रम में धौलपुर जिले की 3 पंचायत समितियों में लागू किया गया तथा 3 जल संभरण क्षेत्र चुने गये।

ई.ए.एस. योजना के अन्तर्गत धौलपुर जिले में जल संभरण विकास कार्यक्रम

क्र. सं.	पंचायत समिति	जल संभरण क्षेत्र का नाम	कुल क्षेत्रफल	गाँवों की संख्या
1	धौलपुर	मिलागया	240	3
2	राजाखेड़ा	हथवारी	500	1
3	बाड़ी	सानो द्वितीय	500	3

स्त्रोत – जल संभरण विकास एवं मृदा संरक्षण विभाग धौलपुर

एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना

समन्वित जल संभरण विकास परियोजना (IWDP) को वर्ल्ड बैंक की मदद से शुरू किया गया। यह 2001–02 में शुरू हुआ और 2005 में पूरा हुआ। यह कार्यक्रम धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति में

इन्टीग्रेटेड बंजर जमीन विकास कार्यक्रम के रूप में चलाया गया। इसे 22 जल संभरण क्षेत्रों में बांटा गया। इसमें 10120 हैक्टेयर क्षेत्र के उपचार के लिये 607.20 लाख रुपये आवंटित किये गये।

पायलट प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रीय जल संभरण विकास कार्यक्रम

यह कार्यक्रम धौलपुर की दो पंचायत समितियों बसेड़ी एवं राजाखेड़ा को चुना गया है। इसमें 5 जल संभरण क्षेत्र राजाखेड़ा पंचायत समिति में तथा 4 जल संभरण क्षेत्र बसेड़ी पंचायत समिति में हैं। इस योजना में कुल क्षेत्रफल 4500 हैक्टेयर है तथा 202.5 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं।

पंचवर्षीय योजनाओं के तहत जल संभरण विकास कार्यक्रम

धौलपुर जिले पंचवर्षीय योजनाओं में 3 पंचायत समितियों में 11 जल संभरण विकास कार्यक्रम चलाये गये हैं। इनमें 5 जल संभरण विकास क्षेत्र धौलपुर पंचायत समिति में 5 जल संभरण क्षेत्र बाड़ी पंचायत समिति में एवं एक जल संभरण क्षेत्र बसेड़ी पंचायत समिति में है। इस योजना में 5305 हैक्टेयर भूमि पर 238.5 लाख रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराये गये हैं।

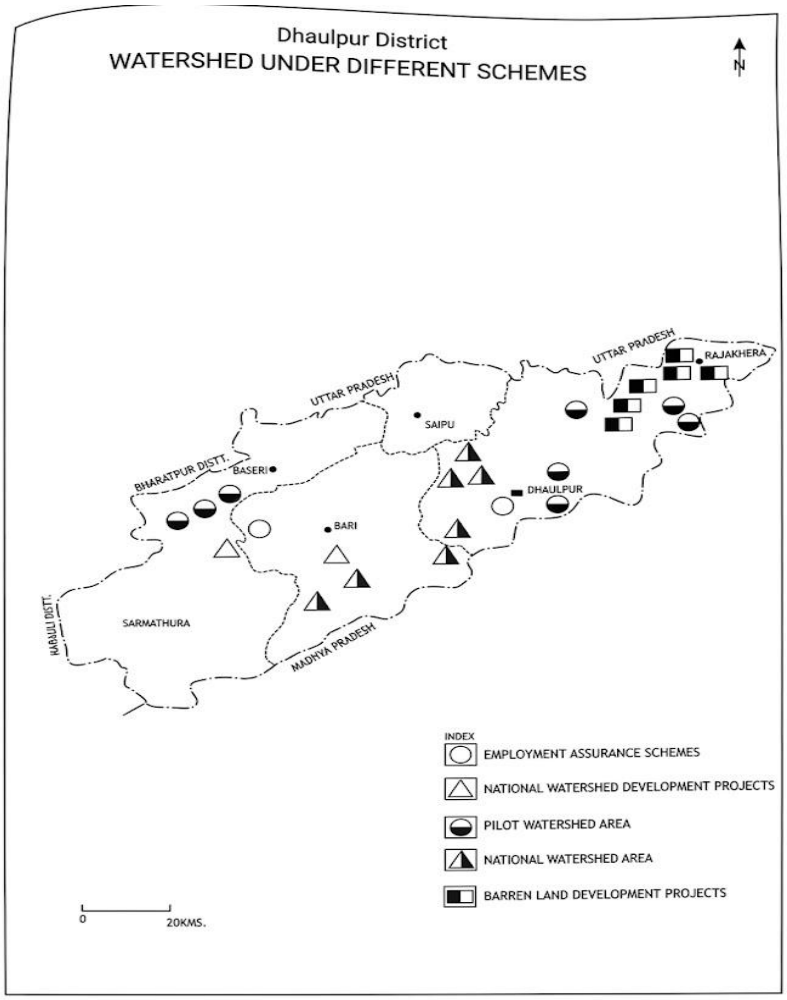

धौलपुर जिले में विभिन्न परियोजनाओं तहत संचालित जल संभरण क्षेत्रों को अग्र मानचित्र द्वारा दर्शाया गया है।

जल संभरण विकास कार्यक्रम के उद्देश्य

जल संभरण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या एवं संसाधनों के मध्य सन्तुलन स्थापित करना है ताकि सभी के लिये जीवन निर्वाह के अवसर उपलब्ध हो सके। अर्थात् विकास की ऐसी योजना बनाने की आवश्यकता है जिसके द्वारा अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। संक्षेप में जल संभरण विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों को निम्न लिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत रखा जा सकता है –

- भू संरक्षण का प्रयास
- भूमि उपयोग बढ़ाना
- शस्य गहनता को बढ़ाना
- वर्षा पोषित एवं असिंचित क्षेत्रों के बीच की असमानता को कम करना
- मृदा अपरदन को रोकना
- जल संरक्षण
- वर्षा जल को रोकने की व्यापक व्यवस्था करना
- भूमिगत जल स्तर में वृद्धि
- सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि
- पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना
- बागवानी को बढ़ाना
- चारागाह विकास एवं सामाजिक वानिकी का विकास
- पशुपालन विकास
- मत्स्य पालन को बढ़ावा
- सामाजिक व आर्थिक स्तर में सुधार
- ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना
- कृषि आधारित लघु उद्योगों का विकास
- सभी विकास कार्यों में जनभागीदारी को बढ़ावा देना आदि–आदि ।

निष्कर्ष

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि जल संभरण विकास कार्यक्रम जल एवं भूमि संसाधन के उचित प्रबन्धन के साथ साथ जनसंख्या के सभी वर्गों को विकास के समान अवसर प्रदान कराने का प्रयास करते हैं। धौलपुर जिले में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संचालित जल संभरण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्थानीय निवासियों एवं दशाओं के अनुसार निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं।

ये कार्यक्रम मुख्य रूप से धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी व बसेड़ी पंचायत समितियों में संचालित हैं। इन कार्यक्रमों का निर्धारण स्थानीय आवश्यकताओं, एवं स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इन कार्यक्रमों से स्थानीय जनता को जोड़कर जन भागीदारी से कार्यक्रम क्रियान्वयन किया जाता है। इन कार्यक्रमों से स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं तथा आर्थिक, सामाजिक व पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. जल संभरण विकास कार्यक्रम में कार्यरत यूजर्स समितियों की निर्देशिका (2015 – 16) जल ग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण निदेशालय जयपुर (1–7)
2. एकीकृत ग्रामीण विकास योजनाओं के अधीन जलग्रहण क्षेत्र विकास दिशा–निर्देशन 2007 विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार जयपुर (पृ. 3–7)
3. Technical Manual for Watershed Development, Watershed Development & Soil Conservation Department, Govt. of Rajasthan] Jaipur
4. Rao, Hanumanth (1994): Guidelines for Watershed Development, Ministry of Rural Development & Govt. of India, New Delhi.
5. Karan, S.K. 1995 : Utilization of Barani Chetna Kendra, State Level Workshop on NWDPRA, Jaipur P8.
6. जाट विरधीचन्द (2000): राजस्थान में जलग्रहण प्रबन्धन के पोषणीय विकास के लिए समस्याऐं एवं सम्भावनाऐं
7. जलग्रहण क्षेत्र विकास पुस्तिका, स्वच्छता जल एवं सामुदायिक परियोजना, उदयपुर

❑❑❑